योगी सरकार ने जारी किया नई औद्योगिक नीति का ड्राफ्ट

विदेशी निवेशकों, बड़े उद्योगों को तुरंत मिल सकेगी जमीन

एफडीआई, बड़े उद्योगों को लुभाने पर जोर

■ एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ

योगी सरकार का अब पूरा फोकस यूपी को विदेशी निवेश व बड़े उद्योगों का हब बनाने पर है। नई औद्योगिक नीति में 100% प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) वाली परियोजनाओं, सुपर मेगा और इससे उच्च श्रेणी वाले परियोजनाओं के लिए सहूलियतें बढ़ाई हैं। इन उद्योगों को परियोजना के लिए तत्काल जमीन मिलेगी। औद्योगिक विकास विभाग ने प्रस्तावित नीति का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। सुझावों-आपत्तियों को शामिल करने के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

नीति का उद्देश्य प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनाने के लिए बेहतर औद्योगिक इको सिस्टम तैयार करना है। इसके लिए अवस्थापना, लॉजिस्टिक, वित्तपोषण एवं मानव संसाधन के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नीति जहां परंपरागत सेक्टर को गति देने के लिए सुविधा एवं सहयोगी देगी वहीं नवोदित क्षेत्रों एवं सर्विस सेक्टर के लिए विशेष प्रोत्साहन के प्रावधान किए जा रहे हैं। रिसर्च, इनोवेशन व पेंटर पर भी खासा ध्यान दिया जाएगा।

रोजगार व प्रशिक्षण पर रहेगा जोर

उद्योगों के संचालन के लिए मानव संसाधन अहम कड़ी है। सरकार की नजर प्रदेश में उपलब्ध मानव संसाधन को दक्ष बनाकर उन्हें रोजगार उपलब्ध

कराने पर है। इसलिए इंडस्ट्री को स्किल गैप की समस्या से निजात दिलाने के लिए शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक कॉलेजों, विवि आदि में खास तौर पर अल्पकालिक व दीर्घकालिक पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे। औद्योगिक क्षेत्रों, कलस्टर, निजी औद्योगिक पार्कों में कौशल विकास केंद्र भी खोले जाएंगे। सुरक्षित परिवेश के लिए नोएडा, कानपुर, गोरखपुर सहित बुंदेलखंड व पूर्वांचल के अलग-अलग औद्योगिक क्लस्टर में थाने भी बनाए जाएंगे।

बुंदेलखंड व पूर्वांचल में खास छूट

नीति में प्रदेश के समन्वित विकास के लक्ष्य को हासिल करने पर खास ध्यान है। इसलिए बुंदेलखंड व पूर्वांचल में निवेश पर अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। बुंदेलखंड व पूर्वांचल में 20 एकड़ तक के निजी औद्योगिक पार्क पर 25% तक या अधिकतम 45 करोड़

तक सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, मध्यांचल व पश्चिमांचल में 30 एकड़ या अधिक भूमि पर निजी औद्योगिक पार्क बनाने पर ₹40 करोड़ तक की सब्सिडी मिलेगी। श्रमिकों को रहने के लिए डारमेट्री बनाने पर भी लागत(जमीन का दाम छोड़कर) की 25% तक सब्सिडी देने का प्रस्ताव है। प्रदेश में कहीं भी 100 एकड़ से इससे अधिक भूमि पर निजी औद्योगिक पार्क विकसित करने पर 25% या 80 करोड़ तक की सब्सिडी मिल सकेगी। निजी पार्क में कम से कम 5 यूनिट स्थापित होना जरूरी होगी। 25% एरिया ग्रीन कवर व बेसिक इंफ्रास्टचर के लिए छोड़ना होगा।

NBT नजरिया

राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की घोषणा हो चुकी है। कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर भी काफी काम हुआ है। अब नई औद्योगिक नीति लाई जा रही है। इसमें उद्योगपतियों को कई रियायतें देने का प्रस्ताव है। उम्मीद है कि सरकार के प्रयास रंग लाएंगे। ज्यादा से ज्यादा उद्योगपति यहां उद्योग लगाने को आकर्षित होंगे। तब यूपी को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में देर नहीं लगेगी।

ग्राम समाज की जमीन पर भी लगेंगे उद्योग

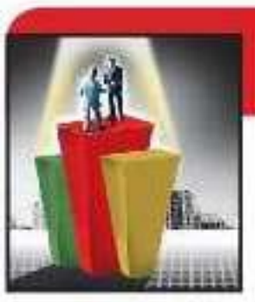

गामीण क्षेत्रों में उद्योग व निवेश को बढ़ावा देने के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव है। उद्योगों को ग्राम समाज की जमीन 50 साल के पट्टे पर सर्किल रेट के महज एक प्रतिशत मूल्य पर आवंटित की जाएगी। औद्योगिक विकास प्राधिकरण की परिधि में आने वाली ग्रामसभा की भूमि को प्राधिकरण में निःशुल्क समाहित करने का भी प्रस्ताव है। जमीन आवंटन के साथ ही अधिग्रहण व कब्जे की प्रक्रिया भी सरल की जाएगी। जमीन पर 100% स्टांप ड्यूटी माफ होगी।